रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-जे.के.-अ.-19082026-275590
CG-JK-E-19082026-275590

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 502] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 13, 2026/श्रावण 22, 1948
No. 502] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 13, 2026/SHRAVAN 22, 1948

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए)

अधिसूचना

जम्मू, 24 जून, 2026

सं. जेआरसी-जेकेएल/आरईजी/2026/02.—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181, धारा 91(4) के साथ पठित, तथा इस संबंध में आयोग को प्रदत्त अन्य सभी सक्षम शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पूर्व प्रकाशन के उपरांत, संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख (परामर्शदाताओं की नियुक्ति) विनियम, 2023 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ -

1.1 इन विनियमों को संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख (परामर्शदाताओं की नियुक्ति) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2026 कहा जाएगा।

1.2 ये विनियमन आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. विनियम 3 (कार्य का क्षेत्र) का प्रतिस्थापन

मूल विनियमों के विनियम 3 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

3. कार्य का क्षेत्र

(1) परामर्शदाताओं को निम्नलिखित सभी अथवा किसी एक प्रयोजन हेतु नियोजित किया जा सकता है, अर्थात्:

(क) आयोग के कार्यों से संबंधित विनियामक, विधिक, वित्तीय, तकनीकी, आर्थिक, प्रशासनिक अथवा नीतिगत विषयों पर विशेषज्ञ परामर्श प्रदान करना;

(ख) वैधानिक कार्यों के प्रभावी निर्वहन हेतु आवश्यक अध्ययन, अनुसंधान, मानक तुलनात्मक विश्लेषण, डेटा विश्लेषण, विनियामक प्रभाव मूल्यांकन, अथवा अन्य किसी विशिष्ट अध्ययन का संचालन करना;

(ग) आयोग को टैरिफ निर्धारण, ट्रू-अप कार्यवाहियों, अनुज्ञप्ति संबंधी विषयों, अनुपालन निगरानी, विनियमों, आदेशों तथा नीतिगत दस्तावेजों के प्रारूपण में सहायता प्रदान करना;

(घ) ऐसे कार्यों का निष्पादन करना, जिनके लिए ऐसे अनुभव एवं अर्हताओं की आवश्यकता हो जो आयोग में उपलब्ध न हों, अथवा जहाँ गुणवत्ता, समय अथवा लागत की दृष्टि से परामर्शदाता की नियुक्ति अधिक प्रभावकारी समझी जाए;

(ङ) आयोग को उन परिस्थितियों में सहायता प्रदान करना जहाँ कार्यभार में वृद्धि हुई हो अथवा प्रशासनिक या प्रक्रियात्मक बाधाओं के कारण नियमित पदों को भरा न जा सका हो;

(च) सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों, डिजिटल रूपांतरण, विनियामक डेटा प्रबंधन तथा आयोग की प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण से संबंधित विषयों में परामर्शी सहायता प्रदान करना;

(छ) अधिनियम के अधीन अपनी वैधानिक जिम्मेदारियों के प्रभावी निर्वहन हेतु ऐसा कोई अन्य विशिष्ट कार्य, जिसे आयोग आवश्यक समझे।

(2) परामर्शदाताओं की नियुक्ति निम्नानुसार होगी:

(क) आवश्यकता-आधारित, विशिष्ट कार्य-आवंटन हेतु, तथा निश्चित अवधि के लिए;

(ख) पूर्णतः संविदात्मक प्रकृति की;

(ग) इसे किसी नियमित अथवा स्वीकृत पद के सृजन के रूप में नहीं माना जाएगा;

(घ) यह आयोग की नियमित कार्मिक आवश्यकता का विकल्प नहीं होगी।

(3) नियुक्ति की शर्तों में कार्य-प्रदाय, समय-सीमाएँ, प्रतिवेदन संरचना तथा मापन योग्य निष्पादन मानदंडों का उल्लेख किया जाएगा।

3. विनियम 4 (नियुक्ति की अवधि) में संशोधन

विनियम 4.1 में "चार वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पाँच वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

4. विनियम 5 (परामर्शदाताओं का वर्गीकरण) का प्रतिस्थापन

विनियम 5 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

5. परामर्शदाताओं का वर्गीकरण

परामर्शदाताओं को निम्नलिखित श्रेणियों में नियोजित किया जा सकता है:

(क) संस्थागत परामर्शदाता;

(ख) व्यक्तिगत परामर्शदाता;

(ग) व्यावसायिक विशेषज्ञ;

(घ) स्टाफ परामर्शदाता;

(ङ) आयोग द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले विषय-विशिष्ट वर्गीकरण के अंतर्गत नियोजित परामर्शदाता।

5. विनियम 7.3 में संशोधन

मूल विनियमों के विनियम 7.3 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

7.3 व्यक्तिगत परामर्शदाताओं का वर्गीकरण

(1) व्यक्तिगत परामर्शदाताओं का वर्गीकरण आयोग के अनुभव, विषयगत विशेषज्ञता तथा कार्यात्मक आवश्यकताओं के आधार पर निम्नानुसार किया जाएगा:

जूनियर परामर्शदाता	3 वर्ष तक का प्रासंगिक अनुभव
परामर्शदाता	3 से 10 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव
वरिष्ठ परामर्शदाता	10 से 15 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव
सलाहकार	15 वर्ष एवं उससे अधिक का प्रासंगिक अनुभव

टिप्पणी: व्यक्तिगत परामर्शदाता श्रेणी के अंतर्गत सलाहकारों की नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।

(2) व्यक्तिगत परामर्शदाताओं के लिए शैक्षणिक अर्हता नियुक्ति के विषय-क्षेत्र से संबंधित होगी, जिसमें अभियांत्रिकी, विधि, वित्त, अर्थशास्त्र, प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी अथवा आवेदन आमंत्रित करने संबंधी सूचना में विनिर्दिष्ट कोई अन्य विषय सम्मिलित हो सकता है।

(3) आयोग, कार्य-आवंटन की प्रकृति के अनुसार अतिरिक्त व्यावसायिक अर्हताएँ, प्रमाणन अथवा विषय-विशिष्ट विशेषज्ञता विनिर्दिष्ट कर सकता है।

(4) आयोग, लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के आधार पर, अपवादात्मक परिस्थितियों में विशिष्ट अर्हता संबंधी आवश्यकताओं में छूट प्रदान कर सकता है, जहाँ अभ्यर्थी की समग्र विशेषज्ञता एवं अनुभव ऐसी छूट को उचित ठहराते हों।

6. नवीन विनियम 9ए का अंतःस्थापन

मूल विनियमों के विनियम 9 के पश्चात निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

9ए. विषय-विशिष्ट वर्गीकरण के अंतर्गत नियोजित परामर्शदाता

(1) आयोग, आयोग की कार्यात्मक आवश्यकताओं तथा कार्य-आवंटन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, विषय-विशिष्ट वर्गीकरण के अंतर्गत परामर्शदाताओं को नियोजित कर सकेगा।

(2) ऐसा विषय-विशिष्ट नियोजन निम्नलिखित विषय-क्षेत्रों को सम्मिलित कर सकेगा, किन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं होगा:

(क) तकनीकी/अभियांत्रिकी;

(ख) विधिक;

(ग) वित्त एवं लेखा;

(घ) अर्थशास्त्र एवं टैरिफ विश्लेषण;

(ङ) सूचना प्रौद्योगिकी एवं डेटा प्रबंधन;

(च) विनियामक कार्य एवं नीतिगत अनुसंधान;

(छ) प्रशासन एवं स्थापना;

(ज) ऐसा कोई अन्य विशिष्ट विषय-क्षेत्र, जैसा आयोग द्वारा निर्धारित किया जाए।

(3) ऐसे विषय-विशिष्ट परामर्शदाताओं के लिए अर्हता, अनुभव, शुल्क संरचना, कार्यकाल तथा नियुक्ति की अन्य शर्तें, इन विनियमों के अनुरूप, आवेदन आमंत्रित करने संबंधी सूचना में विनिर्दिष्ट की जाएँगी।

(4) इस विनियम के अंतर्गत परामर्शदाताओं का नियोजन किसी नियमित पद के सृजन के रूप में नहीं माना जाएगा तथा यह पूर्णतः संविदात्मक प्रकृति का होगा।

(5) इस विनियम के अंतर्गत नियोजन, इन विनियमों के अन्य उपबंधों के अधीन होगा।

7. नवीन विनियम 13ए (परामर्शदाता मूल्यांकन समिति) का अंतःस्थापन

विनियम 13 के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा:

13ए. परामर्शदाता मूल्यांकन समिति (सीईसी)

(1) आयोग, सचिव तथा आयोग द्वारा नामनिर्दिष्ट ऐसे निदेशक(कों) अथवा अधिकारी(यों) से युक्त एक परामर्शदाता मूल्यांकन समिति का गठन करेगा।

(2) जहाँ प्रस्तावित रूप से नियोजित किया जाने वाला परामर्शदाता वरिष्ठ परामर्शदाता अथवा सलाहकार स्तर के समकक्ष हो, वहाँ समिति की अध्यक्षता आयोग के किसी सदस्य द्वारा की जाएगी।

(3) समिति आवेदनों का मूल्यांकन करेगी, अभ्यर्थियों के साथ संवाद/साक्षात्कार करेगी तथा आयोग के अनुमोदन हेतु प्रस्तावित शुल्क सहित उपयुक्त नामों की अनुशंसा करेगी।

8. विनियम 17 (व्यक्तिगत परामर्शदाता) में संशोधन

मूल विनियमों के विनियम 17.1 में अर्हता एवं आयु से संबंधित विद्यमान उपबंध को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

17.1न्यूनतम अर्हता एवं आयु मानदंड:

(क)अभ्यर्थी के पास कार्य-आवंटन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, नियुक्ति के विषय-क्षेत्र से संबंधित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए, जिसमें अभियांत्रिकी, विधि, वित्त, अर्थशास्त्र, प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी अथवा आवेदन आमंत्रित करने संबंधी सूचना में विनिर्दिष्ट कोई अन्य विषय सम्मिलित हो सकता है।

(ख)ऐसा अभ्यर्थी, जिसने आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक तिरसठ (63)वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, व्यक्तिगत परामर्शदाता के रूप में नियोजन हेतु पात्र होगा।

(ग)व्यक्तिगत परामर्शदाता आयोग को पैंसठ (65)वर्ष की आयु तक सेवाएँ प्रदान कर सकेगा तथा पैंसठ (65)वर्ष की आयु के पश्चात किसी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं होगी:

परंतु यह कि इस खंड के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अधिकतम आयु सीमा, विनियम 7.3में विनिर्दिष्ट सलाहकार श्रेणी के अंतर्गत नियोजन पर लागू नहीं होगी, बशर्ते कि अभ्यर्थी चिकित्सीय रूप से सक्षम हो तथा आयोग का अनुमोदन प्राप्त हो।

9. विनियम 20.5 (स्टाफ परामर्शदाता – शुल्क की उच्चतम सीमा) में संशोधन

विनियम 20.5 में "जहाँ देय शुल्क वर्ष के लिए रु. 10 लाख से अधिक न हो" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"जहाँ देय शुल्क सामान्यतः ऐसी राशि से अधिक न हो, जैसा कि बजटीय आवंटन को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाए, तथा जहाँ यह राशि प्रति वर्ष ₹10 लाख से अधिक हो, वहाँ उसके कारण लिखित रूप में अभिलिखित किए जाएँगे।"

10. विनियम 20.7 (स्टाफ परामर्शदाता – अर्हता एवं आयु) का प्रतिस्थापन

विनियम 20.7 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

20.7 न्यूनतम अर्हता एवं आयु मानदंड

(क) अभ्यर्थी के पास नियुक्ति के विषय-क्षेत्र से संबंधित अर्हता होनी चाहिए, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

(i) तकनीकी विषय-क्षेत्र हेतु अभियांत्रिकी;

(ii) विधिक विषय-क्षेत्र हेतु विधि में स्नातक उपाधि;

(iii) वित्त विषय-क्षेत्र हेतु स्नातक उपाधि के साथ सीए (इंटर)/सीएमए (इंटर)/एमबीए;

(iv) कार्य-आवंटन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली कोई अन्य अर्हता।

(ख) आवेदन की तिथि पर 63 वर्ष तक की आयु वाला अभ्यर्थी पात्र होगा तथा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक सेवाएँ प्रदान कर सकेगा।

11. नवीन विनियम 20ख (वार्षिक वृद्धि) का अंतःस्थापन

मूल विनियमों के विनियम 20.7 के पश्चात निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

20ख. वार्षिक वृद्धि

आयोग, संतोषजनक कार्य-निष्पादन के आधार पर तथा बजटीय उपलब्धता एवं आयोग के अनुमोदन के अधीन, अनुमोदित शुल्क का अधिकतम दस प्रतिशत(10%) तक वार्षिक वृद्धि प्रदान कर सकेगा।

12. अनुसूची (व्यक्तिगत परामर्शदाताओं हेतु शुल्क) का प्रतिस्थापन

शुल्क से संबंधित विद्यमान अनुसूची को निम्नलिखित सारणी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

(क) दैनिक आधार पर नियोजन

श्रेणी	प्रति मानव-दिवस अधिकतम शुल्क
जूनियर परामर्शदाता	₹3,000
परामर्शदाता	₹5,000
वरिष्ठ परामर्शदाता	₹8,000
सलाहकार	₹12,000

(ख) मासिक आधार पर नियोजन

श्रेणी	मासिक शुल्क सीमा
जूनियर परामर्शदाता	₹40,000 –₹70,000
परामर्शदाता	₹70,000 –₹1,10,000
वरिष्ठ परामर्शदाता	₹1,00,000 –₹1,60,000
सलाहकार	₹1,50,000 –₹2,50,000

लागू करों को छोड़कर।

13. व्यावृत्ति

इन संशोधन विनियमों के प्रारंभ से पूर्व की गई सभी नियुक्तियाँ, ऐसी नियुक्ति के समय लागू प्रावधानों के अधीन शासित होती रहेंगी।

आयोग के आदेश द्वारा।

मोहम्मद अशरफ (जेकेएएस), सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./272/2026-27]

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(For The Union Territory Of Jammu & Kashmir And Union Territory Of Ladakh)

NOTIFICATION

Jammu, the 24th June, 2026

No. JERC-JKL/Reg/2026/02.— In exercise of the powers conferred under Section 181 read with Section 91(4) of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Joint Electricity Regulatory Commission for the Union Territory of Jammu & Kashmir and Union Territory of Ladakh hereby makes the following amendments to the Joint Electricity Regulatory Commission for the Union Territory of Jammu & Kashmir and Union Territory of Ladakh (Appointment of Consultants) Regulations, 2023, namely:

1. Short Title and Commencement

1.1 These Regulations may be called the Joint Electricity Regulatory Commission for the Union Territory of Jammu & Kashmir and Union Territory of Ladakh (Appointment of Consultants) (First Amendment) Regulations, 2026.

1.2 These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Substitution of Regulation 3 (Scope of Work)

Regulation 3 of the Principal Regulations shall be substituted with the following:

3. Scope of Work

(1) Consultants may be engaged for all or any of the following purposes, namely:

(a) Providing expert advice on regulatory, legal, financial, technical, economic, administrative or policy matters relevant to the functions of the Commission;

(b) Conducting studies, research, benchmarking analysis, data analytics, regulatory impact assessment, or any other specialized study required for effective discharge of statutory functions;

(c) Assisting the Commission in tariff determination, True-up proceedings, licensing matters, compliance monitoring, drafting of regulations, orders and policy documents;

(d) Performing tasks requiring experience and qualifications not available within the Commission or where engagement of a consultant is considered more efficacious in terms of quality, time or cost;

(e) Assisting the Commission where there has been an increase in the quantum of work or where regular posts could not be filled due to administrative or procedural constraints;

(f) Providing advisory support in matters relating to information technology systems, digital transformation, regulatory data management, and modernization of Commission processes;

(g) Any other specialized function which the Commission considers necessary for effective discharge of its statutory responsibilities under the Act.

(2) The engagement of Consultants shall be:

(a) Need-based, assignment-specific, and for a defined duration;
(b) Purely contractual in nature;
(c) Not construed as creation of any regular or sanctioned post;
(d) Not a substitute for regular staffing requirements of the Commission.

(3) The terms of engagement shall specify deliverables, timelines, reporting structure, and measurable performance parameters.

3. Amendment to Regulation 4 (Period of Appointment)

In Regulation 4.1, for the words "four years", the words **"five years"** shall be substituted.

4. Substitution of Regulation 5 (Categorization of Consultants)

Regulation 5 shall be substituted as follows:

5. Categorization of Consultants
Consultants may be engaged in the following categories:
(a) Institutional Consultants;
(b) Individual Consultants;
(c) Professional Experts;
(d) Staff Consultants;
(e) Consultants engaged under domain-specific classification as may be notified by the Commission.

5. Amendment to Regulation 7.3

Regulation 7.3 of the Principal Regulations shall be substituted with the following:

7.3 Categorization of Individual Consultants

(1) Individual Consultants shall be categorized based on experience, domain expertise and functional requirements of the Commission, as under:

Junior Consultant	Up to 3 years of relevant experience
Consultant	3 to 10 years of relevant experience
Senior Consultant	10 to 15 years of relevant experience
Advisor	15 years and above relevant experience

Note: There shall be no upper age limit for appointment of Advisors under Individual Consultant category.

(2) The educational qualification for Individual Consultants shall be relevant to the domain of engagement including Engineering, Law, Finance, Economics, Management, Information Technology or any other discipline as may be specified in the notice inviting applications.

(3) The Commission may prescribe additional professional qualifications, certifications or domain-specific expertise depending upon the nature of assignment.

(4) The Commission may, for reasons to be recorded in writing, relax specific qualification requirements in exceptional cases where the overall expertise and experience of the candidate justify such relaxation.

6. Insertion of New Regulation 9A

After Regulation 9 of the Principal Regulations, the following Regulation shall be inserted, namely:

9A. Consultants Engaged under Domain-Specific Classification

(1) The Commission may engage Consultants under domain-specific classification having regard to the functional requirements of the Commission and the nature of assignment.

(2) Such domain-specific engagement may include, but shall not be limited to, the following domains:

(a) Technical/Engineering;
(b) Legal;
(c) Finance and Accounts;
(d) Economics and Tariff Analysis;
(e) Information Technology and Data Management;
(f) Regulatory Affairs and Policy Research;
(g) Administration and Establishment;
(h) Any other specialized domain as may be determined by the Commission.

(3) The qualification, experience, fee structure, tenure and other conditions of engagement for such domain-specific Consultants shall be specified in the notice inviting applications, consistent with these Regulations.

(4) The engagement of Consultants under this Regulation shall not be construed as creation of a regular post and shall be purely contractual in nature.

(5) Engagement under this Regulation shall be subject to other provisions of these Regulations.

7. Insertion of New Regulation 13A (Consultancy Evaluation Committee)

After Regulation 13, the following shall be inserted:

13A. Consultancy Evaluation Committee (CEC)

(1) The Commission shall constitute a Consultancy Evaluation Committee comprising the Secretary and such Director(s) or officer(s) as may be nominated.
(2) Where the consultant proposed to be engaged is equivalent to Senior Consultant or Advisor level, the Committee shall be headed by a Member of the Commission.
(3) The Committee shall evaluate applications, interact with candidates and recommend suitable names along with proposed fee for approval of the Commission.

8. Amendment to Regulation 17 (Individual Consultants)

In Regulation 17.1 of the Principal Regulations, the existing provision relating to qualification and age shall be substituted as follows:

17.1 Minimum Qualification and Age Criteria:

(a) The aspirant candidate shall possess minimum educational qualification relevant to the domain of engagement, including Engineering, Law, Finance, Economics, Management, Information Technology, or such other discipline as may be specified in the notice inviting applications, having regard to the nature of the assignment.

(b) A candidate who has not attained the age of sixty-three (63) years as on the last date of submission of application shall be eligible for engagement as an Individual Consultant.

(c) An Individual Consultant may render services to the Commission up to the age of sixty-five (65) years, and no relaxation beyond sixty-five (65) years shall be permissible:

Provided that the upper age limit prescribed under this clause shall not apply to engagement under the category of Advisor as specified in Regulation 7.3, subject to medical fitness and approval of the Commission.

9. Amendment to Regulation 20.5 (Staff Consultant – Fee Ceiling)

In Regulation 20.5, for the words "where the fee payable does not exceed Rs. 10 lakhs for the year", the following shall be substituted:

"where the fee payable shall not ordinarily exceed such amount as may be approved by the Commission having regard to budgetary allocation, and reasons shall be recorded in writing where the amount exceeds ₹10 lakh per annum."

10. Substitution of Regulation 20.7 (Staff Consultant – Qualification & Age)

Regulation 20.7 shall be substituted as follows:

20.7 Minimum Qualification and Age Criteria

(a) The aspirant candidate shall possess qualification relevant to the domain of engagement, including:
(i) Engineering for Technical domain;
(ii) Bachelor's Degree in Law for Legal domain;
(iii) Bachelor degree with CA (Inter)/CMA (Inter)/ MBA for Finance domain;
(iv) Any other qualification as may be specified by the Commission having regard to the nature of assignment.

(b) The candidate up to the age of 63 years on the date of application shall be eligible and may render services till attaining the age of 65 years.

11. Insertion of New Regulation 20B (Annual Escalation)

After Regulation 20.7 of the Principal Regulations, the following Regulation shall be inserted, namely:

20B. Annual Escalation
The Commission may grant annual escalation up to ten per cent (10%) of the approved fee, based on satisfactory performance and subject to availability of budget and approval of the Commission.

12. Substitution of Schedule (Fee for Individual Consultants)

The existing Schedule relating to fee shall be substituted with the following table:

(A) Daily Basis Engagement

Category	Maximum Fee per man-day
Junior Consultant	₹3,000
Consultant	₹5,000
Senior Consultant	₹8,000
Advisor	₹12,000

(B) Monthly Basis Engagement

Category	Monthly Fee Range
Junior Consultant	₹40,000 – ₹70,000
Consultant	₹70,000 – ₹1,10,000
Senior Consultant	₹1,00,000 – ₹1,60,000
Advisor	₹1,50,000 – ₹2,50,000

Excluding applicable taxes.

13. Savings

All engagements made prior to commencement of these Amendment Regulations shall continue to be governed by the provisions applicable at the time of such engagement.

By Order of the Commission

MOHD ASHRAF (JKAS), Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./272/2026-27]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.